




Government of Madhya Pradesh

1. Profession Tax:

Tax Structure for Professional Tax

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमेंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय को पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.



मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 2219-141-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 मार्च 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ९ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

[दिनांक २९ मार्च, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१० है. संक्षिप्त नाम और प्रांथ.
(२) यह १ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को धारा २ में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:- धारा २ का संशोधन.

" (झ क) "सेवा" से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा, जो संभावी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया गया हो या प्राप्त किया जा सकता हो;".

483



Government of Madhya Pradesh

484

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2010

अनुसूची का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“१-क. सेवा प्रदाय में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक प्राप्तियां—

(क)	३,००,००० रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	३,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ५,००,००० रुपये से अधिक नहीं है.	१००० रुपये
(ग)	५,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ८,००,००० रुपये से अधिक नहीं है.	२००० रुपये
(घ)	८,००,००० रुपये से अधिक है	२५०० रुपये”.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 2220-141-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 9 of 2010.

THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 2010; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 1st April, 2010.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

- (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.
- (2) It shall come into force from 1st April, 2010.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

(ia) “service” means service of any description which is made available to potential users for which valuable consideration is received or receivable;”.

Amendment of Schedule.

3. In Schedule of the Principal Act, after serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“9A. A person engaged in the supply of service whose annual gross receipts —

(a)	does not exceed rupees 3,00,000	Nil
(b)	exceeds rupees 3,00,000 but does not exceed rupees 5,00,000.	Rupees 1000
(c)	exceeds rupees 5,00,000 but does not exceed rupees 8,00,000.	Rupees 2000
(d)	exceeds rupees 8,00,000	Rupees 2500”.